सीधी सोच, सीधी बात !

(न्यायव्यवस्था, शिक्षाव्यवस्था और सामाजिक विचारधारा बदलने के लिए)

यह एक खुला मंच है जिसके अंतर्गत कोई भी देशभक्त व्यक्ति राष्ट्र के हितमें अपनी बात रख सकता है, क्यूँकि राष्ट्रहित सर्वोपरि. इसी अंतर्गत पूरी तरहसे अभिनव,

'भारत की संपूर्ण नई शिक्षा व्यवस्था' (प्राथमिक प्रारूप)

यह योजना बनायी है.

नई शिक्षाव्यवस्था का उददेश :–

'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' बनने के लिए एकसमान,

व्यावहारिक, आधुनिक और सक्षम शिक्षा व्यवस्था स्थापित हो.

योजनाकार – श्री. संजय ह. परदेशी , पुणे

(स्वदेशी काम करनेवाला 'परदेशी' व्यक्ति)

मो/ व्हॉटसॲप – **9423014414/9422034483**

मेल – **sanjayswadeshi6@gmail.com**

वेब – **www.newroadtransport.com**

Copyright To Mr. Sanjay H. Pardeshi (Pune) Copyright registration no. L-96819/2020

लोकतंत्र का सबसे बडा आधार :– सीधी सोच, सीधी बात..!

- हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता होती है. जब जब यह नही रही तब तब लोकतंत्र भीडतंत्र में बदल गया है. यह ना हो इसीलिए भारत में पहली बार भारत की दो मूलभूत समस्याओंमें आमूलचूल बदलाव लानेवाली योजनाओंका प्रारूप बनाया गया है. इनमें से एक है:– **भारत की संपूर्ण नई शिक्षा व्यवस्था.**
- नई शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी विभाग और प्रशासकीय विभाग ऐसे दो विभाग होंगे.

तकनीकी विभाग

- भारत की आज की शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजोंने बनाए हुए ढांचे पर आधारित है.
- इसलिए आजकी शिक्षा व्यवस्था अव्यावहारिक, बिखरी हुई, स्वराष्ट्र, स्वभाषा और स्वसंस्कृति के प्रति न्यून भाव निर्माण करनेवाली है.
- **अंग्रेजोंका उद्देश केवल 'गुलाम' नौकर और 'गुलाम' समाज निर्माण करना था.**
- इस व्यवस्थामें संशोधक, शास्त्रज्ञ, विद्वान, उदयोगकर्मी निर्माण करने की क्षमता बहुत कम है.
- **असत्य इतिहास पढाया जाता है, ताकि स्वराष्ट्र के प्रति हीनभाव निर्माण हो.**
- आज की शिक्षा व्यवस्था भारत को बाँटती है. **८० प्रतिशत भारतीय और २० प्रतिशत इंडियन (पढे लिखे बाबू लोग) तैय्यार होते हैं.**
- अंग्रेजी भाषा में शिक्षाप्रणाली और अंग्रेजियत राष्ट्र की संप्रभुता के विरूध्द् काम करती है.

संपूर्ण भारत के लिए एक ही शिक्षा मंडल..!

- भारत के प्रचलित सभी प्रकारके शिक्षा मंडल बंद किए जायेंगे और एक ही '**भारतीय शिक्षा मंडल**' होगा.
- मेरी शिक्षा नीति का प्रथम संस्करण **११ जुलाई २०२०** को हुआ.
- मेरी शिक्षा नीति में मैंने पुरानी शिक्षा नीति का ढाँचा **१० + २** वर्षोंका ही रखा था.
- चूँकि वह पहले से ही लिखा है, इसलिए इस पी.पी.टी. में वाचक इसी स्वरूपमें उसे पढेंगे.
- **२९ जुलाई २०२०** को सरकार की नई **राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०** का उद्घोष हुआ.
- सरकार और नयी शिक्षा नीति बनानेवाले महानुभाव मेरी शिक्षा नीति से सुझाव ले और उसका अंतर्भाव **राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० में करे** ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है. नई शिक्षा नीति कार्यान्वयन में लाने के लिए मैं कटीबध्द् हूँ और अपना समय देना चाहता हूँ.
- ध्यान रहे, कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषामें तुरंत पढता है, समझता है, विचार करता है, बोलता है, लिखता है और संशोधन भी अच्छी तरह करता है. लेकिन यही काम वह अगर विदेशी या अंग्रेजी भाषा में करता है तो उसके लिए उसको ३ से ४ गुना ज्यादा समय लगता है, ऐसा विज्ञान कहता है.
- **क्या भारतवासीयोंका ३ से ४ गुना ज्यादा समय बरबाद करना है?**
- इसीलिए मेरी शिक्षा नीति में पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सिर्फ मातृभाषा/राष्ट्रभाषा में ही शिक्षा प्रणाली होगी. **अंग्रेजी में संपूर्ण शिक्षापध्द्ति का विकल्प नही होगा.**
- ध्यान रहे, भारतीय लोग अंग्रेजी भाषा में पढकर भी ज्यादा से ज्यादा उँचे से उँचे पद पर उनके नौकर ही बने है, फिर चाहे वह सी.ई.ओ. **(CEO)** हो या डायरेक्टर **(Director).**

हिन्दी और अपनी मातृभाषामें शिक्षाप्रणाली क्यूँ?

- भारत में कुल हिन्दी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश १२ है. वहाँ की कुल जनसंख्या अं. **६३ करोड** है. इसके अलावा बाकी देशमें **अं. ६/७ करोड** लोग हिन्दी जानते है. तो भारतमें कुल हिन्दी समझनेवाली जनसंख्या अं. **७० करोड** है. याने के कुल जनसंख्या **१३८ करोड का अं. ५१ प्रतिशत है.**
- दूसरी तरफ पिछले **१००/१२५** वर्षोंकी मेहनत के बावजूद आज तक संपूर्ण देश में अंग्रेजी समझनेवालोंकी जनसंख्या मुश्किल से १० से १२ करोड याने के कुल जनसंख्या १३८ का **अं. ९ प्रतिशत है.**
- इसके अलावा, इतने लोग देश के बाहर जाने के बावजूद आज तक भारत के बाहेर सब मिलाकर काम करनेवालों की जनसंख्या **अं. सिर्फ ३ करोड २० लाख है. याने मुश्किल से कुल जनसंख्या १३८ करोड का सिर्फ अं. २.३ प्रतिशत.**
- यहाँ एक बात अच्छी तरह समझ लें के अंग्रेजी समझनेवाले लोगोंमें भी, बहुत लोग अंग्रजी में मोटी मोटी कथा/माहिती पर पुस्तक नही पढ पाते. उनका यह आनंद उनके मातापिता ने उसी दिन छीन लिया है जिस दिन उन्होंने अपने बच्चोंको अंग्रेजी भाषा में पढने को मजबूर किया.
- वैसे तो एक से ज्यादा भाषा सीखना यह व्यक्तिगत ज्यादा संपत्ती अर्जित करने के बराबर है. लेकिन अपनी ही मातृभाषा/राष्ट्रभाषा छोडकर सिर्फ अंग्रेजी भाषा में आधा अधूरा सीखना यह सरासर गलत है.
- ध्यान रहे, अगर समाज गलत सोचता है, गलत समझता है या दूर की नही सोच सकता है तो सरकार और न्यायालय को मिलकर बिना किसी विरोध या आंदोलन से डरे सत्य और समाज के अंतिम हित के कानून बनाने ही होंगे और उनपर अमल भी करना होगा. **यही तो है सीधी सोच, सीधी बात.**
- **ध्यान रहे स्वभाषा का त्याग माने स्वजनद्रोह, मातृद्रोह और देशद्रोह.**

हिन्दी और अपनी मातृभाषामें शिक्षाप्रणाली क्यूँ?

- आज तक सिर्फ अंदाजन ३.२ करोड अंग्रेजी में पढकर बाहर जानेवाले लोगोंके लिए बाकी अं. ७० करोड जनता संपूर्ण शिक्षाप्रणाली अंग्रेजी में पढें **यह कौन सा न्याय है? यह कैसी व्यवस्था है? यह कैसी गुलामी सोच है? और यह कैसा राष्ट्रभाषा का विरोध है? क्या बेवकूफी है यह?**
- भारतवासी आज नही सुधरेंगे तो बाद में चाहकर भी वैचारिक, सांस्कृतिक, बौध्दिक और डिजीटल गुलामी से बच नही पाएँगे. चूँकि तब तक बहुत देर होगी. **आफ्रिकन देशों का यही हाल हुआ है.**
- ध्यान रहे, गुलाम समाज ना कभी भी बडे बडे संशोधन करता है और ना ही अपनी चिरंतन संस्कृती की रक्षा कर पाता है. इसलिए आईए, अपनी गुलामी सोच बदलकर हर भारतवासी अपनी अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हुए अपनी अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा जीवित रखेगा. **इसके पहले ऐसा नही हुआ इसीलिए तो 'संस्कृत' भाषा मृतप्राय हुई और उसमें छिपा हुआ खजाना हमसे छूट गया.**
- इसलिए भारत के लोगोंको अब यह तय करना ही होगा के मूल्याधारित शिक्षा चाहिए या भाषा आधारित.
- उनको यह भी तय करना होगा की क्या **अं. ३ करोड २० लाख** बाहरवासी (**NRI**) भारतीय लोगोंके लिए बाकी **६५/७० करोड** लोगोंका भविष्य अंग्रेजी में शिक्षाव्यवस्था लादकर बरबाद करें? भारत और सभी राज्य सरकार, सभी न्यायालय या भारतवासीयोंको यह हक किसने दिया?
- उनको यह भी तय करना ही होगा के उनके बच्चों को पाठशाला की सिर्फ अच्छी ईमारत और सुविधा चाहिए या सचमुच का ज्ञान. देश के बाहर जाकर नौकरी करनेवाले **'गुलाम'** चाहिए या देश को **प्रगतिपर लेकर जानेवाले जोशपूर्ण उद्योजक, संशोधक चाहिए.**

पाठयक्रम की रूप रेखा

- बाल वर्ग से लेकर उच्च शिक्षा तक फीसदी पध्द्ति समाप्त होगी.
- अंग्रेजी और संस्कृत भाषा कक्षा ५ से **'भाषा'** के रूप से सिखायी जाएगी.
- संस्कृत भाषा के पुराने ज्ञान, संशोधन को पाठयक्रम में अंतर्भूत किया जाएगा.
- कक्षा १ से कक्षा १० वर्ष तक का पाठयक्रम कक्षा नुसार समग्र, संतुलित और एकसमान होगा.
- कक्षा ११ और कक्षा १२ में गतिमान पाठयक्रम के साथ साथ पदविका पाठयक्रम की सुविधा होगी.
- **हर युवा का १९ वा वर्ष ,राष्ट्रवर्ष माना जाएगा. यह वर्ष देश/संस्कृति/सेवाभाव और संरक्षण क्षेत्र के लिए समर्पित होगा.**
- भारत बहुभाषिक और विविधताओं में एकता ढूँढनेवाला देश है. इसलिए **'करिअर'** के शुरूवात का १९ वा वर्ष याने **'राष्ट्रवर्ष'** विविध और अनेक भाषिक भारतीय युवाँको एक साथ जोडेगा और उनमें विश्वास निर्माण करेगा. उनमें सच में भाईचारा निर्माण करेगा.
- अभी जो आंतरराष्ट्रीय विदयार्थि विनिमय होता है, उसी तरह इस **'राष्ट्रवर्ष'** में आंतरराज्य विदयार्थि विनिमय होगा. यह राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधेगा.
- कक्षा १०/१२ के बाद हर विदयार्थि अपनी पसंदीदा शाखा चुन सकेगा. पसंदीदा कौशल सीखने की सुविधा होगी.
- प्रचलित हर पदवी, पदविका, स्नातक, स्नातकोत्तर पाठयक्रम में एक वर्ष कम होगा.
- यह इसलिए संभव होगा क्यूँकि विद्यार्थि पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सिर्फ अपनी मातृभाषा/राष्ट्रभाषा में ही पढ रहे होंगे.
- **यही बचा हुआ वर्ष राष्ट्र वर्ष में रूपांतरित होगा.**

पाठयक्रम का प्रारूप

- **भारत का पुराना (वैदिक काल) भूगोल, अखंड भारत का विस्तार, अखंड भारत का मानचित्र, गुरूकुल पध्द्तिपर आधारित सभी विषयोंके पाठयक्रम बनाए जायेंगे.**
- भारत की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक ताकद का उपयोग नये पाठयक्रम में अंतर्भूत होगा.
- वैदिक गणित, भूमिती, भारत का वैदिक विज्ञान, पुराने व नये शास्त्रोंका गठजोड होगा.
- भारत के पुराने संशोधन, अनिवार्यता और खगोलशास्त्र का पाठयक्रम होगा.
- **पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक चतुःस्तरीय भाषिक प्रणाली लागू होगी :–**

मातृभाषा	**– प्रथम भाषा (अपने अपने राज्य की भाषा)**
राष्ट्रभाषा	**– दूसरी भाषा (हिन्दी)**
विश्वभाषा	**– तीसरी भाषा (अंग्रेजी)**
मूलभूत भाषा	**– चौथी भाषा (संस्कृत)**

- कक्षा १०/१२ के बाद कृति अभ्यासक्रम का पाठयक्रम इस तरहसे होगा जिससे त्वरित स्वयंरोजगार/रोजगार निर्माण होगा.
- संपूर्ण नागरिक शास्त्र यह विषय कक्षा ८ से कक्षा १२ तक अनिवार्य होगा.
- **शारीरिक विकास और कला शाखा यह विषय कक्षा १ से कक्षा १२ तक अनिवार्य होंगे.**

पाठयक्रम की रूप रेखा

- मेरी योजना नुसार १० + २ की शिक्षाप्रणाली मातृभाषा/राष्ट्रभाषा में ही उपलब्ध होनी थी. लेकिन सरकार की नयी शिक्षा नीति का ढाँचा याने के ३ + २ + ३ + ३ + ४ =१५ वर्षोंका पाठयक्रम भी अपनी अपनी मातृभाषा/राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही तैय्यार होना चाहिए और **यह अनिवार्य होना चाहिए.**
- पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक गणित और विज्ञान यह विषय सिर्फ राष्ट्रभाषा हिन्दी में पढाएँ जायेंगे. उसी तरह का पाठयक्रम बनेगा. बाकी विषय अपनी अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा में पढाए जाएँगे. **यह संपूर्ण भारत में अनिवार्य होगा. यही सोची समझी आत्मनिर्भरता है.**
- **राज्य सरकारोंका अंग्रेजी भाषा में शिक्षा पध्द्ति चुननेका विकल्प समाप्त किया जायेगा.**
- कक्षा १०/१२ के बाद पसंदीदा पाठयक्रम/कौशल चुनकर तुरंत रोजगार प्राप्त करने की सुविधा होगी.
- स्नातक, स्नातकोत्तर और 'डॉक्टरेट' तक मातृभाषा/राष्ट्रभाषा में पूर्ण पाठयक्रम की निर्मिती होगी.
- तंत्रनिकेतन, कलानिकेतन, कारिगरी, कृषि, कुटिरोदयोग, उदयोग आदि विषयोंपर अपनी अपनी मातृभाषा/राष्ट्रभाषा में पाठयक्रम निर्मिती होगी.
- पुरानी शिक्षा पध्द्ति के सभी शाखाओंके अनुपयोगी, अव्यावहारिक और झूठा इतिहास पढानेवाले पाठयक्रम निष्कासित करने होंगे. भारत के सत्य, गौरवशाली इतिहास की शिक्षा देनी होगी.
- उद्देश अनुसार सपूर्ण नई, संतुलित, समग्र, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता बढानेवाली शिक्षाप्रणाली का निर्माण, आत्मगौरव और वीरश्री युक्त सत्य इतिहास के साथ सिखाया जाएगा.

उच्च शिक्षा के लिए पाठयक्रम का प्रारूप

- नये पाठयक्रम इस तरह से होंगे जिससे लोक कल्याण होगा. उदा. **आय.ए.एस. शिक्षा प्रणाली.** इसमे आमूलचूल बदलाव होगा. एक ही पाठयक्रम से पढे हुए आय.ए.एस. अधिकारी हर क्षेत्र में अंतिम निर्णय कैसे ले सकते है? इस गलत व्यवस्था के कारण इतना खर्च होने के बावजूद हर योजनाका अंतिम अपेक्षित परिणाम नही मिल रहा है. इसीसे सत्ता का दुरूपयोग होकर भ्रष्टाचार बढता है.
- इसके लिए हर क्षेत्र के संबंधित योजनाकार, अभ्यासक, विचारक, विशेषज्ञ, व्यावसायिक, अनुभवी व्यक्ति/संस्थाओंको अंतिम निर्णय लेनेका अवसर मिलना चाहिए. आय.ए.एस. अधिकारी और सरकारी कर्मचारी उनको सहयोग करेंगे.
- **अंग्रेजी शिक्षाव्यवस्था /अंग्रेजियत के कारण आज हम सब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल गुलाम बन गये है.** ना भारत का खुदका **सर्च इंजिन है, ना मोबाईल, ना टी.व्ही. और ना ही कॉम्प्युटर.**
- इसलिए तकनीकी (इंजिनीअरींग), वकील, डॉक्टर, शास्त्रज्ञ, आर्किटेक्चर, चार्टड अकाऊँटंट इत्यादी और ऐसे बाकी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठयक्रमोंको संपूर्ण स्वरूपसे संशोधित किया जाएगा जिससे लोग संशोधन कर सके. यह सभी पाठयक्रम अपनी अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही होंगे.
- अंग्रेजी भाषा में पाठयक्रम का विकल्प पहले भी था. फलस्वरूप पिछले ४०/५० वर्षोंमें मातृभाषा शिक्षा प्रणाली सिर्फ निम्न वर्ग और सरकारी पाठशालों तक ही सीमित रही. राष्ट्रभाषा में शिक्षाप्रणाली ना होने से और अंग्रेजी में ही उच्च शिक्षा तक पाठयक्रम उपलब्ध होने से करोडो बच्चों का भविष्य बरबाद हुआ. **इसलिए तो ८०% भारतीय और २०% इंडियन बन गए.** भारत के लोगोंकी गुलामी मानसिकता देखते हुए और इतिहास से सबक लेते हुए भूल सुधारनेका अब यह आखरी मौका है. **अभी नही तो कभी नही.**

प्रशासकीय विभाग

- **तकनीकी विभाग व्द्रारा निर्मित पाठयक्रम पूरे भारतमें लागू करना.**
- यह पाठयक्रम अमल में लाने के लिए (केंद्रीय और राज्य स्तर पर) प्रारूप बनाना.
- एक समान शिक्षा व्यवस्था का प्रचलन करना.
- एक समान शिक्षा व्यवस्था के लिए निश्चित नियम और कार्यपध्द्ति विकसित करना.
- पुराने अनुपयोगी नियम, कार्यपध्द्तियाँ और पाठयक्रम समाप्त करना.
- एकसमान शिक्षा व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा निश्चित करते हुए समय सारणी बनाना.
- इसकी विशेषता –कक्षा १२ के बाद २ वर्षों में ही स्नातक की पदवी मिलेगी. प्रचलित स्नातक शिक्षा ३ वर्षोंकी है उसमें से १ वर्ष कम होगा, चूँकी शिक्षा मातृभाषा/राष्ट्रभाषा में कृतिआधारित व छात्र के रूचि अनुसार होगी. **छात्र को १८ वर्ष पूर्ण होने के साथ ही देश/संस्कृति/संरक्षण का प्रत्यक्ष अनुभव होगा.**
- अपनी अपनी मातृभाषा/ राष्ट्रभाषा में पढने के कारण पढाई में गति और **'समझ'** आएगी. जिसकी वजहसे छात्र २१ वर्ष की आयु में स्नातक और २३ वर्ष की आयु में स्नातकोत्तर शिक्षा पदवी प्राप्त करेगा.
- बाकी डॉक्टर, वकील, वास्तुतंत्रज्ञ, चार्टर्ड अकाऊंटंट, नेव्ही, आर्मी, हवाईदल, संशोधन क्षेत्र आदि अनेक शाखाओंके लिए भी पाठयक्रम राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा में ही लिखे जाएँगे. इन शाखाओं के लिए भी १ वर्ष कम करके वह वर्ष **'राष्ट्रवर्ष'** के लिए समर्पित होगा.
- इससे देशभक्ति जागृत होगी और **ब्रेनड्रेन** की समस्या का बहुत सीमा तक समाधान भी होगा. **'ब्रेन गेन'** का प्रारंभ हो जाएगा.

नई शिक्षा व्यवस्था के लिए समय तालिका

१. दि. ३१/१२/२०२० तक नई शिक्षाव्यवस्था लिखने के लिए प्रमुख समिती का गठन होगा. साथ साथ तकनीकी और प्रशासकीय विभागके सभी महानुभावोंको नियुक्त किया जाएगा.

२. दि. १/१/२०२१ से दि. ३१/०३/२०२१ तक संपूर्ण भारतमें सिर्फ कक्षा एक का एकत्रित, संतुलित पाठयक्रम संपूर्ण हिन्दी और अपनी अपनी मातृभाषा (राज्यभाषामें) सभी विषयों के लिए बनाया जाएगा. सुझाव व कुछ पुर्नलेखन के लिए दि. १/४/२०२१ से दि. ३०/४/२०२१ तक का समय दिया जाएगा. दि. १/५/२०२१ से दि. ३०/६/२०२१ तक संपूर्ण छपाई, वितरण, प्रसारण, अवलोकन और प्रसार.

३. नई शिक्षा व्यवस्था , कक्षा एक का प्रारंभ दि. १/७/२०२१ से ६ वर्ष पूर्ण छात्र के लिए शुरू होगा.

४. इसके उपरांत प्रत्येक अगले वर्ष में यानि दि. १/७/२०२२ से लेकर दि. १/७/२०३० तक याने कक्षा १० तक प्रत्येक कक्षा के लिए एकत्रित, संतुलित पाठयक्रम संपूर्ण हिन्दी और अपनी अपनी मातृभाषा (राज्यभाषामें) सभी विषयों के लिए शुरू होगा.

५. तंत्रनिकेतन का पाठयक्रम और कक्षा ११ और १२ का पाठयक्रम दि. १/७/२०३१ और दि. १/७/२०३२ से संपूर्ण हिन्दी और अपनी अपनी मातृभाषा (राज्यभाषामें) सभी विषयों के लिए शुरू होगा.

६. हर छात्र का १९ वा वर्ष याने 'राष्ट्रवर्ष', राष्ट्र/संस्कृति/संरक्षण/ सेवा क्षेत्र के लिए समर्पित होगा.

७. दि. १/७/२०३४ और दि. १/७/२०३५ से महाविदयालय प्रथम व व्दितीय वर्षोंका पाठयक्रम (कला, विज्ञान, वाणिज्य और इतर) संपूर्ण हिन्दी और अपनी अपनी मातृभाषा (राज्यभाषामें) सभी विषयों के लिए शुरू होगा.

नई शिक्षा प्रणाली के वर्ष कुछ इस प्रकार होगे

१.	पदवी पाठयक्रम	:– **१०+२+१(राष्ट्रवर्ष)+२**	कुल **१५** वर्ष का कालावधी.
२.	स्नातकोत्तर पदवी	:– **१०+२+१(राष्ट्रवर्ष) +२+२**	कुल **१७** वर्ष का कालावधी.
३.	व्यावसायिक पदवी	:– **१०+२+१(राष्ट्रवर्ष) + ४**	कुल **१७** वर्ष का कालावधी.
		(जैसे की डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्चर, चार्टड अकाऊँटंट वगैरा)	
४.	स्नातकोत्तर व्यावसायिक पदवी	:– **१०+२+१(राष्ट्रवर्ष) +४+२**	कुल **१९** वर्ष.
५.	पदविकाधारक (डिप्लोमा)	:– **१०+२+१(राष्ट्रवर्ष)**	कुल **१३** वर्ष का कालावधी.
६.	कारिगर	:– **१०+२+१(राष्ट्रवर्ष)**	कुल **१३** वर्ष में कुशल कारिगर.

इसी प्रकार हर शाखा/हर क्षेत्र के लिए शिक्षाप्रणाली की समय सीमा निर्धारित होगी.

इसके अलावा हर धर्म के लिए धार्मिक शिक्षा का भी प्रावधान होगा जिससे छात्र में सेवाभाव, बंधुभाव, दया, ईश्वर और समाज के प्रति आस्था और प्रेम निर्माण होगा. हर धर्म के लिए 'स्नातक' तक शिक्षा का प्रावधान होगा और उसमें हर धर्म की सकारात्मक शिक्षा, नीति का ही समावेश होगा. गलत धारणाएँ, कुरीतियाँ, गलत नियम व कालबाह्य रूढी परंपराओंका ज्ञान नही दिया जाएगा. केवल उनका उल्लेख होगा. वह भी उनकी वजहसे अतीत में हुए नुकसान और संघर्ष को समझने के लिए. आवश्यकतानुसार अलग अलग शाखाओं के अलग अलग पाठयक्रम और कालावधी निश्चित किए जाएँगे. इस प्रारूप के अनुसार २०३३ से लेकर अधिक से अधिक २०४० तक भारत की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था स्वभाषी, एकत्रित, संतुलित, आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी बनेगी और सच में भारत, **एक भारत, श्रेष्ठ भारत बनेगा.**

श्री. संजय ह. परदेशी, पुणे

(स्वदेशी काम करनेवाला 'परदेशी' व्यक्ति)

पताः– फ्लॅट नं. **8,** योगेश्वरी अपार्टमेंट, तीसरी मंजिल, आय.डी.बी.आय. बँक के उपर, महेंदळे गॅरेज रोड, एरंडवणे, पुणे **– 411004,** महाराष्ट्र, भारत.
मो. नंः– **7011463900** मो/व्हॉटसॲप. नंः– **9423014414 / 9422034483**
ई मेल :– **sanjayswadeshi6@gmail.com** वेब : **www.newroadtransport.com**

श्री. संजय ह. परदेशी मेकॅनिकल इंजीनिअर हैं. पिछले ३० वर्षोंसे अपने कारोबार में लगे हुए हैं. साथ साथ पिछले २० वर्षों से समाजसेवा और राष्ट्रसेवा करते हुए उनका लक्ष्य भारत की समस्याओंपर समाधान ढूँढना है. भारत की प्रमुख समस्याओंपर निरंतर चिंतन करते हुए लेखकने **भारत कैसे बदलें..?** और **सीधी सोच, सीधी बात..!** इस खुले मंच के तहत समस्याओंपर समाधान प्रस्तुत किए हैं. लेखक का यह दावा है कि भारत में प्रचंड जनसंख्या और संसदीय लोकतंत्र की वजहसे शासन, प्रशासन और जनता में ना कानून की दहशत है और ना स्वयंपूर्ण अनुशासन की चाहत. **इसलिए भारत की पुरानी न्यायव्यवस्था और शिक्षाव्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाना ही होगा जिसकी वजहसे शासन, प्रशासन और लोग अनुशासित होंगे.** साथ साथ समाज की विचारधारा में भी बदलाव आना चाहिए क्यूँकि **सोच बदलो, देश बदलेगा.** तब जाकर भारत आनेवाले वर्षोंमें **'एक भारत, श्रेष्ठ भारत'** बनेगा, अन्यथा नही. ***इसी के तहत लेखक ने भारत की संपूर्ण नई न्यायव्यवस्था (प्राथमिक प्रारूप) और भारत की संपूर्ण नई शिक्षाव्यवस्था (प्राथमिक प्रारूप)*** लिखी है.

साथ साथ लेखक ने सडक दुर्घटनाएँ और यातायात की समस्याओंपर पहलसे ही समाधान ढूँढकर एक योजना बनाई है, जो ***'संपूर्ण भारत की नई सडक और यातायात योजना'*** इस नाम से प्रसिध्द् हुई है.

जय हिन्द..!

Copyright To Mr. Sanjay H. Pardeshi (Pune) Copyright registration no. L-96819/2020